संचिका संख्या–ब–17 / बी0एस0जी0–08 / 2013 – 368 / वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश झा,
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः– 30.3.2013

विषयः– **बिहार विनियोग(संख्या–2) अधिनियम, 2013**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए बिहार विधान मंडल ने 21 मार्च, 2013 को बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2013 पारित किया है एवं महामहिम राज्यपाल ने इस विधेयक पर दिनांकः 27.03. 2013 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने अधिसूचना संख्या–एल0जी0–1–08 / 2013 / लेजः 29 दिनांकः **29.03.2013** द्वारा बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2013 **(बिहार अधिनियम 02, 2013)** को अधिसूचित कर दिया है।

2. उक्त अधिनियम से संबंधित बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या–259 दिनांक–30.03.2013 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को दो–दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि की व्यय की अधिकतम सीमा अधिनियम के अनुसूची के कॉलम–6 में अंकित राशि तक सीमित है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त् उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

4. वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट पुस्तिकाओं की प्रतियॉ वित्त विभागीय पत्रांकः 221 दिनांकः **21.02.2013** द्वारा पूर्व में हीं प्रेषित किया जा चुका है।

5. संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट http://egazette.nic.in/ पर देखी जा सकती है।

विश्वासभाजन,

30/3/13

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17 / बी0एस0जी0–08 / 2013 - 368/ वि0 पटना, दिनांकः 30. 3. 2013 .

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के सचिव / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना / महानिदेश, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग / सचिव, बिहार विधान सभा / विधान परिषद् / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग / स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री के सचिव / लोकायुक्त के सचिव / सचिव, राजस्व पर्षद / महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग / राज्य सूचना आयोग के सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/13

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17 / बी0एस0जी0–08 / 2013 - 368/ वि0 पटना, दिनांकः 30. 3. 2013 .

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/13

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17 / बी0एस0जी0–08 / 2013 - 368/ वि0 पटना, दिनांकः 30. 3. 2013 .

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय / निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग / निदेशक, पुरातत्व निदेशालय / निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग / निदेशक, गव्य निदेशालय / निदेशक, मत्स्य निदेशालय / निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / निदेशक, जन शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण / निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् / निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग / निदेशक,

कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांख्यिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य–कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/13
(ओम प्रकाश झा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17/बी0एस0जी0–08/2013-368/वि0 पटना, दिनांक: 30.3.2013.

प्रतिलिपि– अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5–5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।

30/3/13
(ओम प्रकाश झा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17/बी0एस0जी0–08/2013-368/वि0 पटना, दिनांक: 30.3.2013.

प्रतिलिपि– मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/संयुक्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा–4 एवं 5/ संयुक्त सचिव, प्रभारी शाखा–10/संयुक्त सचिव, डाटा कोषांग/संयुक्त सचिव, कोषागार शाखा/ संयुक्त सचिव, स्थापना/संयुक्त सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांख्यिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव(व्यय) के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा–10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/13
(ओम प्रकाश झा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17/बी0एस0जी0–08/2013-368/वि0 पटना, दिनांक: 30.3.2013

प्रतिलिपि– स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/13
(ओम प्रकाश झा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17 / बी0एस0जी0–08 / 2013 -368 / वि0 पटना, दिनांकः 30.3.2013.

प्रतिलिपि–उपमुख्य मंत्री के आप्त सचिव को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/13

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17 / बी0एस0जी0–08 / 2013 -368/ वि0 पटना, दिनांकः 30.3.2013.

प्रतिलिपि–सरकार के अवर सचिव(बजट) / सभी लेखा पदाधिकारी / प्रणाली विश्लेषक, डाटा कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/13

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–17 / बी0एस0जी0–08 / 2013 -368/ वि0 पटना, दिनांकः 30.3.2013.

प्रतिलिपि–बजट शाखा के सभी सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/13

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र 1935 (श0)

(सं0 पटना 259) पटना, शनिवार, 30 मार्च 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

29 मार्च 2013

सं० एल0जी0-1-8/2013/लेज:29—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2013 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 2, 2013]

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।—(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 924,75,13,95,000 (नौ सौ चौबीस अरब पचहत्तर करोड़ तेरह लाख पनचानबे हजार) रूपये की निकासी । — बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियां, जो कुल 924,75,13,95,000 (नौ सौ चौबीस अरब पचहत्तर करोड़ तेरह लाख पनचानबे हजार) रूपये तक होंगी, शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेंगी।

3. विनियोग-। — इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31 वीं मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियुक्त किया जायेगा ।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	25,50,19,11,000	0	25,50,19,11,000
		पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	9,66,36,53,000	0	9,66,36,53,000
		पूंजी	7,00,00,000	0	7,00,00,000
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	4,47,47,16,000	0	4,47,47,16,000
		पूंजी	10,57,54,13,000	0	10,57,54,13,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	1,45,65,73,000	0	1,45,65,73,000
		पूंजी	9,07,00,000	0	9,07,00,000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	7,87,35,000	7,87,35,000
		पूंजी	0	0	0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	74,78,93,000	0	74,78,93,000
		पूंजी	0	0	0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	27,91,82,000	0	27,91,82,000
		पूंजी	0	0	0
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	78,69,80,000	0	78,69,80,000
		पूंजी	0	0	0
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	4,51,59,04,000	0	4,51,59,04,000
		पूंजी	70,83,65,000	0	70,83,65,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	24,99,56,02,000	0	24,99,56,02,000
		पूंजी	18,50,82,63,000	0	18,50,82,63,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	8,63,42,18,000	0	8,63,42,18,000
		पूंजी	2,87,00,000	0	2,87,00,000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3,82,49,05,000	2,93,45,00,000	6,75,94,05,000
		पूंजी	24,00,00,000	0	24,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	58,87,97,28,000	58,87,97,28,000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियां	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	32,38,72,50,000	32,38,72,50,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
15	पेंशन	राजस्व	1,12,63,66,93,000	10,37,30,000	1,12,74,04,23,000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	33,17,04,33,000	0	33,17,04,33,000
		पूंजी	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1,27,27,52,000	0	1,27,27,52,000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	8,47,96,37,000	0	8,47,96,37,000
		पूंजी	5,78,50,44,000	0	5,78,50,44,000
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	1,72,17,43,000	0	1,72,17,43,000
		पूंजी	21,15,07,000	0	21,15,07,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	27,85,09,39,000	0	27,85,09,39,000
		पूंजी	5,71,75,00,000	0	5,71,75,00,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	1,79,77,77,53,000	0	1,79,77,77,53,000
		पूंजी	3,03,00,01,000	0	3,03,00,01,000
22	गृह विभाग	राजस्व	48,01,01,52,000	0	48,01,01,52,000
		पूंजी	4,94,65,58,000	0	4,94,65,58,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	4,93,51,39,000	0	4,93,51,39,000
		पूंजी	35,10,00,000	0	35,10,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	83,75,21,000	0	83,75,21,000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1,73,70,89,000	0	1,73,70,89,000
		पूंजी	41,00,00,000	0	41,00,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	2,00,33,50,000	0	2,00,33,50,000
		पूंजी	11,62,00,000	0	11,62,00,000
27	विधि विभाग	राजस्व	6,19,78,34,000	0	6,19,78,34,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	1,16,24,65,000	1,16,24,65,000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	18,31,73,000	0	18,31,73,000
		पूंजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	2,33,30,67,000	0	2,33,30,67,000
		पूंजी	1,00,60,00,000	0	1,00,60,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	1,41,67,000	0	1,41,67,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	1,09,56,31,000	67,12,000	1,10,23,43,000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	4,11,62,19,000	4,25,70,000	4,15,87,89,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	13,83,56,000	13,83,56,000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	9,30,95,68,000	0	9,30,95,68,000
		पूंजी	9,74,91,00,000	0	9,74,91,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	4,38,03,57,000	0	4,38,03,57,000
		पूंजी	5,01,43,48,000	0	5,01,43,48,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	8,71,91,88,000	0	8,71,91,88,000
		पूंजी	16,00,91,16,000	0	16,00,91,16,000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	1,47,95,25,000	0	1,47,95,25,000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	8,56,77,90,000	0	8,56,77,90,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	5,93,17,78,000	0	5,93,17,78,000
		पूंजी	38,26,65,000	0	38,26,65,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	7,53,41,49,000	0	7,53,41,49,000
		पूंजी	42,30,22,00,000	0	42,30,22,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	17,42,92,42,000	0	17,42,92,42,000
		पूंजी	47,00,00,000	0	47,00,00,000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	92,33,11,000	0	92,33,11,000
		पूंजी	90,88,37,000	0	90,88,37,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	10,16,92,39,000	0	10,16,92,39,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1,10,84,05,000	0	1,10,84,05,000
		पूंजी	34,00,000	0	34,00,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	25,26,88,000	0	25,26,88,000
		पूंजी	82,43,00,000	0	82,43,00,000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	39,06,22,000	0	39,06,22,000
		पूंजी	11,60,26,000	0	11,60,26,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	21,14,90,88,000	0	21,14,90,88,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	8,18,85,37,000	0	8,18,85,37,000
		पूंजी	25,00,35,27,000	0	25,00,35,27,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	4,98,01,52,000	0	4,98,01,52,000
		पूंजी	2,21,70,24,000	0	2,21,70,24,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	41,33,30,87,000	0	41,33,30,87,000
		पूंजी	9,50,00,000	0	9,50,00,000
		योग राजस्व	**6,73,10,15,55,000**	**63,34,67,96,000**	**7,36,44,83,51,000**
		योग पूंजी	**1,55,91,57,94,000**	**32,38,72,50,000**	**1,88,30,30,44,000**
		महायोग	**8,29,01,73,49,000**	**95,73,40,46,000**	**9,24,75,13,95,000**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 259-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in